



352

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय मंडल ग्वालियर कैप भोपाल म.प्र.
निगरानी क्र...../2013-14

R - 285-II/14

कृपाल सिंह आ.घासीराम जाति सेंधव
निवासी-ग्राम डोडी, तहसील जावर,
जिला-सीहोर मध्यप्रदेश निगरानीकर्ता
दिनांक 26/04/2013
दोषादाक लगाए
26/04/2013
26/04/2013

विरुद्ध

1. घीसीबाई पलि धूल जी आयु वयस्क
निवासी-ग्राम डोडी, तहसील जावर, जिला-सीहोर
2. कृपाल सिंह आ.दिलीप सिंह जाति सेंधव
निवासी-ग्राम कॉकरिया, तहसील जावर जिला-सीहोर
3. म.प्र.शासनरेस्पॉडेंटसगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.दा.सं, 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 20/04/2013 प्रकरण क्रमांक
9/अ-70/2013-14 पारित द्वारा श्रीमान नायब
तहसीलदार महोदय जावर जिला-सीहोर म.प्र.

आहुत किये जाने वाले प्रकरण

1. प्रकरण क्र.9/अ-70/2013-14 पारित द्वारा श्रीमान नायब
तहसीलदार महोदय जावर जिला-सीहोर म.प्र.
2. प्रकरण क्र.थारा-2.क्र.प्र.न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील जावर जिला-सीहोर(घीसीबाई विरुद्ध कृपाल सिंह व अन्य)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुयायी आदेश प्रख्यात

प्रकरण क्रमांक

R/285/II/14, एम्बर,

कृष्णलाल सिंह/वीड़ियो

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

20/12/18

आवेदक की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह टुकुर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार ज्ञावर के प्रकरण क्रमांक ७१३८८०/१३-५ में पारित आदेश दिनांक २०/०४/१३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला एम्बर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०३/०१/१९ को कलेक्टर जिला एम्बर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

AJ